न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2005 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

श्रीमती लक्ष्मी देवी विधवा अजय सिंह राना जाति जाट निवासी नृसिंह ढयोडी कोठी धौलपुर राज0

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. तहसीलदार, तहसील धौलपुर व हैसियत लैण्ड होल्डर।
3. नगर पालिका मण्डल धौलपुर जरिये चैयरमैन नगर पालिका मण्डल धौलपुर।
4. श्री भगवान
5. राजेश कुमार
6. अनिल कुमार
7. गोपाल
8. विशाल

   पुत्रगण राम सिंह जातिगण ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर
9. हरिमाया पत्नि राम सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर।
10. ऊषा पुत्री राम सिंह पत्नि नवलकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 30.11.04 मि.नं. 56/2001 उनवानी रामबाबू बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री जानकीप्रसाद शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री भगवती प्रसाद झॉ वकील रैस्पो0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–17.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.04 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामबाबू पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी नृसिंह बाग कोठी, धौलपुर द्वारा एक वाद वास्ते इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत हाल खसरा नम्बर 1139 रकवा 07 बीघा 10 विस्वा, वाके ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर प्रस्तुत किया। जिसमें दौरने विचारण वाद, वादी रामबाबू

का निधन दिनांक 22.02.2003 को हो गया। अपीलाण्ट का कथन है कि वादी रामबाबू ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपीलाण्ट श्रीमती लक्ष्मी देवी के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 14.01.2003 निष्पादित की। अतः अपीलाण्ट लक्ष्मी देवी ने उक्त वसीयत के आधार पर वाद को संचालित रखे जाने हेतु वादी रामबाबू के उत्तराधिकारी रूप में प्रतिष्ठापित किये जाने हेतु, प्रार्थना पत्र आधीन आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर, वादपत्र को अवेट मानकर निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी, खसरा नम्बर 1139 की वसीयत वादी रामबाबू द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थीया के हक में की गई थी। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट/प्रार्थीया के विवादित आराजी में स्वत्व व आधिपत्य है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/प्रार्थीया का वादी रामबाबू के जीवित रहते समय से ही कब्जा है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे एवं अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र 22 नियम 03 सी.पी.सी. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाकर अपीलाधीन आदेश से दावा अवेट किया है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2004 से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 6, 8 व 9 ने उपस्थित होकर क्रास अपील ऑब्जेक्शन पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। वादी रामबाबू का दिनांक 22.02.2003 को स्वर्गवास हो जाने पर अपीलाण्ट ने जरिये वसीयतनामा अधीनस्थ न्यायालय में यह आग्रह किया कि वसीयतनामा से लक्ष्मी देवी को उत्तराधिकारी माना जावें। उक्त वसीयतनामा से अपीलाण्ट वारिस हुयी, क्योंकि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1139 पर काबिज काश्त है। मृतक को वसीयत करने का अधिकार था। रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा विरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्धारित कर दिया कि वसीयतकर्ता व लक्ष्मी देवी भिन्न जातियों के हैं तथा वादी रामबाबू के और भी भाई वगै0 मौजूद हैं। इस कारण अपीलाण्ट/प्रार्थिया को मृतक के स्थान पर पक्षकार नहीं बनाया जा सकता तथा मियाद का बिन्दू भी उठाया तथा वसीयतनामा को अपंजीकृत बताया जबकि वह नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित थी। वसीयत उपपंजीयक द्वारा ही पंजीकृत की जावे, ऐसा कोई विधान नहीं है तथा इस्तकरार हक राजस्व प्रकरण में लिमिटेशन लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थीया को वसीयत सिद्ध करने को मौका नहीं दिया गया है एंव मात्र कयास के आधार पर ही प्रकरण को अवधि बाहर मान लिया। अधीनस्थ न्यायालय को दावे का निस्तारण तकनीकी बिन्दू को नजरअंदाज कर गुणावगुण पर करना चाहिये था। रैस्पो0 द्वारा जो क्रास आब्जेक्शन पेश किये हैं। उसके स्थान पर अपील आनी चाहिये थी। किन्तु मृतक के भाईयों ने कोई अपील पेश नहीं की है, जबकि अपीलाण्ट/प्रार्थीया लक्ष्मी देवी ने विधिवत अन्दर मियाद

उक्त अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को गलत रूप से उपशमित किया है। विधि अनुसार किसी भी जाति के व्यक्ति द्वारा किसी भी जाति के व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जा सकती है। बशर्ते सम्पत्ति स्वःअर्जित हो, प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मृतक रामबाबू की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। वादी रामबाबू अपने परिवार के साथ कभी नहीं रहा है। बल्कि बचपन से अन्तिम सांस तक अपीलाण्ट/प्रार्थीया के परिवार में ही रहा तथा अपीलाण्ट व उसके पुत्र अजीत द्वारा तेरहवी व दाहसंस्कार हिन्दू विधि के अनुसार किये गये हैं। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को दावा मैरिट पर निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवावी बहस में क्रास अपील के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अपील के अन्दर जो तथ्य अंकित किये हैं वह कतई गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश, अपीलाण्ट के विरूद्ध सही पारित किया गया है। वाद पत्र में पूर्व वादी रामबाबू द्वारा मात्र आराजी खसरा नम्बर 1139 को विवादित माना है, लेकिन अपीलाण्ट ने अपील में दूसरे खसरा नम्बर साविक 437 को भी विवादित माना है। अतः कानूनन अपील काबिल खारिजी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि कानूनन वसीयत जाति, कुटुम्ब या खून के रिश्ते में ही की जा सकती है। जबकि वादी रामबाबू ब्राहम्ण तथा अपीलाण्ट जाट है। अतः वसीयत फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है एवं बिना कब्जे के अपील काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र 22 रूल 3 सीपीसी मियाद बाहर पेश किया गया था। विवादित आराजी खसरा नम्बर साविक 347 व खसरा नम्बर 437 ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर में दिनांक 17.06.1964 को रैस्पो0 के पूर्व पुरूष राम सिंह पुत्र लालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर को आवंटन कमेटी द्वारा आंवटित किया गया तथा मौके पर कब्जा दिया गया था, तभी से रैस्पो0 विवादित भूमि का उपयोग–उपभोग वहैसियत खातेदार कृषक निरन्तर खुले आम व शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व अभिलेख में उक्त नम्बर को सिवाययक दर्ज कर दिया तथा रैस्पो0 के पूर्व पुरूष रामसिंह के नाम को लोपित कर दिया। उसके बाद जो भी इन्द्राज आये वह रैस्पो0 की बैक पर किये गये हैं, जो कानूनन सही नहीं है। रैस्पो0 के पूर्व पुरूष जब तक जीवित रहे तब तक उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहें तथा उनकी मृत्यु के बाद रैस्पो0 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। रैस्पो0 ने अपने पूर्व पुरूष का समस्त तर्का हासिल किया है। अतः विवादित आराजी में कब्जे व आवंटन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नामो का इन्द्राज करा पाने के अधिकारी हैं। अतः क्रास अपील रैस्पो0 स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व अपील अपीलाण्ट लक्ष्मी देवी, खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील स्वयं को वसीयत धारक बताते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत की गयी है। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा जो वसीयत पेश की गई है, वह एक अप्रमाणित फोटो प्रति है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणन (Probate) होना परमावश्यक है। किन्तु वसीयत सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना बनने का कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. क्रॉस अपील के परीक्षण में हम पाते हैं कि, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2004 की क्रॉस अपील दिनांक 08.03.2011 को लगभग 6 वर्ष 4 माह पश्चात् विलम्ब से पेश की गयी है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट करना अपेक्षित है। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 6 वर्ष 4 माह की अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। अतः हम अपील मिंयाद के बिंदु पर ही खारिज योग्य पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से दावा वादी अवेट किया है। दोनों अपीलाण्ट में से किसी ने भी मृतक वादी के वारिसों को रिकार्ड पर लेने का प्रयास नहीं किया है।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट एवं क्रॉस अपील/आपत्तियॉ रैस्पो0 खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2004 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official